कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस बी सिविल याचिका संख्या 23416/2017 श्रीमति सुमन बाला शर्मा बनाम सरकार प्रकरण में माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.12.17 द्वारा प्रार्थी को अप्रार्थीगण के समक्ष एक सप्ताह के भीतर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं अप्रार्थीगण द्वारा उक्त अभ्यावदेन को विधि अनुसार कन्सीडर कर यथाशीघ्र चार सप्ताह में निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गये थे।

याचिकार्थी द्वारा पूर्व में विभाग के विरूद्ध अवमानना याचिका संख्या 1231/2016 सुमनबाला शर्मा बनाम श्री नरेशपाल गंगवार एवं अन्य (अन्तर्गत एस बी सिविल याचिका संख्या 11629/2016 सुमनबाला शर्मा बनाम सरकार) दायर की गई थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश दिनांक 11.09.2017 की अनुपालना में विभाग के आदेश कमांकः शिविरा/मा/संस्था/बी–2/याचिका सं 11629/16/दिनांक 19.09.2017 द्वारा याचिकार्थी को प्रधानाचार्य– राबाउमावि–कठूमर अलवर से अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (समकक्ष प्रधानाचार्य–उमावि) कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक–ा अलवर के पद पर समायोजित किया गया था।

याचिकार्थी द्वारा अपने पति के विगत 10 वर्षों से शाइजोफ्रेनिया रोग से पीडित होने, समय–समय पर पति को चिकित्सकीय सलाह हेतु ले जाने में होने वाली परेशानी, स्वयं के अतिजिशिअ के पद पर कार्यरत होने के कारण पारिवारिक उत्तरदायित्व का निर्वहन ठीक से नहीं कर पाने जैसी विषम परिस्थितियों के मध्यजनजर तथा दिनांक 05.06.2013 के सर्कुलर (गंभीर रोगों से पीडित पति/पत्नि के प्रकरण को रिक्त पदों हेतु प्राथमिकता प्रदान करते हुए निस्तारित किये जाने सम्बन्धी) का हवाला देते हुए अपना पदस्थापन श्री ओमप्रकाश गुप्ता की 31.03.2018 को सेवानिवृति से रिक्त होने वाले प्रधानाचार्य के पद–प्रधानाचार्य राआउमावि बुर्जा, उमरैण, अलवर किये जाने की परिवेदना की गई।

माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 23416/2017 में प्रदत्त निर्णय की अनुपालना में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार किया गया। याचिकार्थी को पूर्व में माननीय न्यायालय निर्णय की अनुपालना में विभाग के आदेश दिनांक 19.09.2017 द्वारा अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक–ा, अलवर के पद पर समायोजित किया जा चुका है। याचिकार्थी पहले से ही अपने गृह जिले अलवर में पदस्थापित है, अतः पुनः 31.03.2018 को रिक्त होने वाले प्रधानाचार्य पद पर समायोजन सम्बन्धी उनकी मांग किसी भी प्रकार से उचित प्रतीत नहीं होती। याचिकार्थी द्वारा धारित अतिजिशिअ–माध्यमिक शिक्षा (समकक्ष प्रधानाचार्य–उमावि) का पद राज्य शिक्षा सेवा के राजपत्रित स्तर के अधिकारी का पद है और माननीय न्यायालय के निर्णय जगमोहन बनाम सरकार प्रकरण के अनुसार राजपत्रित स्तर का पद धारित कार्मिक की सेवाऐं राज्य में कहीं पर भी ली जा सकती है। उपर्युक्त परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए याचिकार्थी **श्रीमति सुमन बाला शर्मा, अतिजिशिअ माध्यमिक–ा, अलवर का अभ्यावेदन खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।** सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

कमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/सुमन बाला/याचिका–23416/2017 दिनांकः 14.02.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा जयपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा अलवर
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा
6. संबंधित संस्था प्रधान
7. संबंधित कार्मिक/अपीलार्थी
8. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)